माननीय एन. के. सोधी , स्वतंत्र कुमार और एन. के. सूद, न्यायमूर्ति के समक्ष.

प्रीतम दास नागपाल,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता

1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 6266

14जुलाई, 2000

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब *सिविल सेवा नियम, खंड। I, भाग I-Rl। 3. 19* (1)-सरकार *ने याचिकाकर्ता* की *पदोन्नति का आदेश पारित किया जो उसके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी था-आदेश याचिकाकर्ता तक तब तक नहीं पहुंच सका जब तक कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो जाता-क्योंकि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति पद का प्रभार ग्रहण नहीं कर सकता था-आदेश प्रभावी या सक्रिय नहीं हुए-याचिकाकर्ता पदोन्नति पद के सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार नहीं था-रिट खारिज कर दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को उस तारीख से वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था जब वह पदभार संभालने वाले थे।इस प्रकार, उनकी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होने वाली थी जब उन्हें पदोन्नत पद का कार्यभार संभालना था।चूँकि उन्होंने उस पद का प्रभार नहीं संभाला था, इसलिए उन्हें कभी भी पदोन्नति के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और उनके लिए पदोन्नति का आदेश प्रभावी या सक्रिय नहीं हुआ था और इसलिए उन्हें एक लेखा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए और परिणामस्वरूप वह उस पद से जुड़े सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे।वह प्रचार पद से जुड़े लाभों का दावा नहीं कर सकता है।इस प्रकार, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और वही खारिज हो जाती है।

(पैरा 4)

बहस

एस. डी. शर्मा, याचिकाकर्ता के वकील सुरिंदर शर्मा *के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता*

प्रतिवादी के लिए एन. *के. जोशी, ए. ए. जी. हरियाणा*

निर्णय

माननीय एन. के. सोधी, जे.

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा रोडवेज, पानीपत के महाप्रबंधक के कार्यालय में लेखा अधिकारी के रूप में काम कर रहा था।वित्त आयुक्त और हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के सचिव द्वारा 18 अक्टूबर, 1996 को पारित आदेश के अनुसार, उन्हें और कुछ अन्य लोगों को 2200-4000 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था और

यह पदोन्ती "उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा"।पदोन्नति पर उन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य प्रशासक के कार्यालय में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था।यह आदेश 13 नवंबर, 1996 को महाप्रबंधक के कार्यालय में पहुँचा, लेकिन तब तक याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर, 1996 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था।याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें इस आदेश के बारे में 13 नवंबर, 1996 को पता चला जब वह अपने सेवानिवृत्ति लाभों के निपटारे के लिए महाप्रबंधक के कार्यालय गए।उन्होंने विभाग को प्रतिनिधित्व दिया कि उन्हें वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पदोन्नति पद से सेवानिवृत्त माना जाए और उनके सेवानिवृत्त लाभों की गणना तदनुसार की जाए।जब उनके दावे को स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक अनिवार्यता(मन्डामस) के लिए वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता को अपने सेवानिवृत्त लाभों की गणना करने के उद्देश्य से वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त माने।जब यह याचिका 8 मई, 1997 को प्रस्ताव सुनवाई के लिए आई, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हवा सिंह देसवाल बनाम हरियाणा *राज्य (1) मामले* में *इस अदालत के* एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया, उनके तर्क के समर्थन में, प्रस्ताव पीठ का गठन करने वाले विद्वान *न्यायाधीश हवा* सिंह देसवाल के मामले (उपरोक्त) में व्यक्त विचार से सहमत नहीं थे और निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई एक पूर्ण पीठ द्वारा की जाए। यही वजह है कि यह मुकद्दमा अब हमारे सामने है।

(2) हरियाणा राज्य की ओर से दायर जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को 23 अक्टूबर, 1996 को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था और यह आदेश 24 अक्टूबर, 1996 को याचिकाकर्ता और महाप्रबंधक को भेजा गया था।हालाँकि, यह माना जाता है कि यदि आदेश समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा, तो इसमें विभाग की कोई गलती नहीं थी और चूंकि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति तक पदोन्नति पद का प्रभार नहीं लिया था, इसलिए वह पदोन्नति पद के सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार नहीं

1995 (2) आर. एस. जे. 486

है। इसको सिद्ध करने के किये को पंजाब सिविल सेवा नियम खंड I-भाग I के नियम 3,19 (1) पर भी रखा गया है, जिसके अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी उस तारीख से किसी पद के वेतन और भत्तों का हकदार होना शुरू कर देता है या समाप्त कर देता है।वह उस पद के कर्तव्यों का प्रभार ग्रहण करता है या छोड़ देता है, यदि वह उस तारीख की पूर्व-दोपहर में उन कर्तव्यों का प्रभार ग्रहण करता है या छोड़ देता है, अन्यथा अगले दिन से।यह दलील दी जाती है कि चूंकि याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को एक लेखा अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, इसलिए वह केवल उस पद के सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है और वह उस पद से जुड़े लाभों का दावा नहीं कर सकता है जिसका उसने कभी कार्यभार नहीं संभाला था।

(3)सवाल यह है कि:हमारे विचार के लिए, एक अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति का आदेश कब प्रभावी होता है।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. डी. शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के *फैसले* पंजाब राज्य और अन्य बनाम *बलबीर* सिंह *आदि (2) , पर भरोसा जताया। यह तर्क* देने के लिए कि एक बार जब कोई आदेश भेजा जाता है और यह उस प्राधिकरण

के नियंत्रण से बाहर हो जाता है जिसने आदेश पारित किया था, तो उसे प्रभावी माना जाना चाहिए। इस मामले में सुखबीर सिंह को पंजाब लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) शाखा में उप-मंडल अधिकारी के रूप में कार्यवाहक आधार पर पदोन्नत किया गया था, जब 28 अक्टूबर, 1966 के आदेश द्वारा उन्हें पूर्ववर्ती पंजाब राज्य द्वारा उनके मूल पद पर वापस कर दिया गया था।आदेश के बारे में उन्हें 30 अक्टूबर, 1966 को सूचित किया गया था, हालांकि यह 1 नवंबर, 1966 को या उसके बाद प्राप्त हुआ था।पूर्ववर्ती पंजाब राज्य को 1 नवंबर, 1966 से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा पुनर्गठित किया गया था।सवाल यह उठा कि प्रत्यावर्तन का क्रम कब प्रभावी हुआ-चाहे वह 1 नवंबर, 1966 से पहले हो या *बाद में।पंजाब राज्य* बनाम *खेमी राम* (3) *और पंजाब राज्य* बनाम *अमर सिंह हरिका* (4) में पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए उनके अध्यक्षों ने कहा कि आदेश या तो 29 अक्टूबर, 1966 को या निश्चित रूप से 30 अक्टूबर, 1966 को सूचित किया गया था, जब वह आदेश उस प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर हो गया था जिसने वह आदेश पारित किया था और जब प्रति महालेखाकार और मुख्य अभियंता को भेजी गई थी और मामले के इस दृष्टिकोण से, आदेश को 1 नवंबर, 1966 *से पहले* बलबीर सिंह को सूचित किया गया

2. 1976 (1) जी एलआर 36

3. ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 214
4. ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1313
5. ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 72

था।बलबीर सिंह के मामले (उपरोक्त) में प्रश्न प्रत्यावर्तन के आदेश के संदर्भ में उठा लेकिन हमारे सामने मामले में सवाल यह है कि पदोन्नति/नियुक्ति का *आदेश कब* प्रभावी होगा।इसलिए, बलबीर सिंह का मामला (ऊपर) *कोई मदद नहीं* करता *है।प्रताप सिंह बनाम पंजाब* राज्य (5) में एक अधिकारी के निलंबन का आदेश जब वह छुट्टी पर था, उस समय से प्रभावी माना गया था जब वह जारी किया गया था।यह भी देखा गया कि यदि अधिकारी वास्तव में ड्यूटी पर होता तो निलंबन का आदेश उस क्षण से प्रभावी हो जाता जब वह उसके पास पहुंचता और किस क्षण से वह उस आदेश का पालन कर सकता था। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना।यह निर्णय याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।हमारी राय में, इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर पहले की तरह विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है।हम डॉ. अमरजीत सिंह अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य और अन्य धाराओं (6) में उच्चतम *न्यायालय के फैसले से* निष्कर्ष *निकालते हैं।उसमें अपीलार्थी को 25 अप्रैल,* 1964 से पनब्लिक स्वास्थ्य सेवा वर्ग-1 में सहायक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 तक।इनमें 8 अप्रैल, 1964 के आदेश द्वारा प्रांतीय सिविल चिकित्सा सेवा वर्ग-I में पदोन्नत किया गया था।हालाँकि, इस आदेश को 23 अप्रैल, 1964 को प्रतिवादीगण को सूचित किया गया था और उन्होंने 27 अप्रैल, 1964 और 11 मई, 1964 के बीच अलग-अलग तिथियों पर पदोन्नत पदों का कार्यभार संभाला।प्रांतीय सिविल चिकित्सा सेवा और पंजाब स्वास्थ्य सेवा को 15 जुलाई, 1964 से पंजाब राज्य द्वारा एकीकृत किया गया था।पी. सी. एम. एस. वर्ग-I और पी. सी. एम. एस. वर्ग-II के सामान्य संयुक्त संवर्ग बनाए गए थे।सरकार ने दोनों सेवाओं से आने वाले अधिकारियों की *अंतर-वरिष्ठता के* निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार, समूह में नियुक्ति की तारीख से निरंतर सेवा की अवधि के संदर्भ में प्रथम श्रेणी में वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना था।प्रथम श्रेणी की सेवा की एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी जो उनके प्रभुत्व से पहले विवाद में थी।उसमें अपीलार्थी ने इस याचिका पर उत्तरदाता संख्या 3 से 19 पर वरिष्ठता का दावा किया कि उनकी निरंतर सेवा 25 अप्रैल, 1964 से शुरू हुई थी, जबकि उसमें प्रतिवादीगण की निरंतर सेवा 27 अप्रैल, 1964 तक शुरू नहीं हुई थी जब उन्होंने पदोन्नत पदों का कार्यभार संभाला था।राज्य सरकार ने उसमें अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि उसमें प्रतिवादीगण की वरिष्ठता की गणना उनके नियुक्ति आदेश की तारीख 8 अप्रैल, 1964 से की जाएगी क्योंकि उन्हें "तत्काल प्रभाव से" पदोन्नत पदों पर नियुक्त किया गया था।सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने राज्य सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और कानून को निम्नानुसार निर्धारित कियाः—

(6) ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 984

> " नियुक्ति का आदेश तीन प्रकार का हो सकता है।
>
> यह किसी व्यक्ति को उस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी नियुक्त कर सकता है या उसे तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर सकता है या उसे सरल तरीके से यह बताए बिना कि नियुक्ति कब प्रभावी होगी, नियुक्त कर सकता है।जहां नियुक्ति का आदेश प्रथम प्रकार का है, नियुक्ति तभी प्रभावी होगी जब नियुक्त व्यक्ति पद का प्रभार ग्रहण करेगा और वह उसकी नियुक्ति की तारीख होगी।इसके बाद उनकी नियुक्ति होगी।लेकिन दूसरे प्रकार के मामले में, जिसके बारे में हम 8 अप्रैल, 1964 के आदेश के

बाद से चिंतित हैं, पी. सी. एम. एस. वर्ग-I के लिए 3 से 19 तक के प्रतिवादीगण को नियुक्त किया गया है।

तत्काल प्रभाव से, "नियुक्ति तुरंत प्रभावी होगी, भले ही नियुक्त व्यक्ति पद का कार्यभार कब संभालता है।ऐसे मामले में उनकी नियुक्ति की तारीख नियुक्ति के आदेश की तारीख के समान होगी।इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां तक प्रतिवादीगण संख्या 3 से 19 का संबंध है, उनकी नियुक्ति की तारीख 8 अप्रैल, 1964 थी और पी. सी. एम. एस. श्रेणी-1 में उनकी निरंतर सेवा की अवधि की गणना उस तारीख से की जानी आवश्यक थी।यह स्वाभाविक है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 से 19 ने 25 अप्रैल, 1964 के बाद तक पदोन्नति के अपने-अपने पदों का प्रभार नहीं संभाला था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निरंतर सेवा की अवधि को नियुक्ति की तारीख से इस परिकल्पना पर गिना जाना है कि नियुक्ति प्रभावी होने पर संबंधित व्यक्ति पद पर है और पद पर उसकी सेवा को उसकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत शुरू किया गया माना जाता है, वह तब तक उस पद से जुड़े वेतन और भत्ते का हकदार नहीं हो सकता है जब तक कि वह पद का प्रभार ग्रहण नहीं करता है।इसलिए पी. सी. एम. एस. वर्ग-1 में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 19 तक की निरंतर सेवा 8 अप्रैल, 1964 से शुरू हुई और चूंकि यह डॉ. जगजीत सिंह और लोक स्वास्थ्य सेवा वर्ग-1 में अपीलार्थी की निरंतर सेवा से अधिक लंबी थी, जो केवल 25 अप्रैल, 1964 को शुरू हुई थी, इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 3 से 19 को डॉ. जगजीत सिंह से वरिष्ठ और अपीलार्थी को एकीकृत पी. सी. एम. एस. वर्ग-1 की संयुक्त वरिष्ठता सूची में रखने का अधिकार था।

(4) इससे पहले के मामले में, याचिकाकर्ता को पदभार संभालने की तारीख से वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।इस प्रकार, डॉ. अमरजीत सिंह के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार उनकी नियुक्ति, *उस तारीख से* प्रभावी होने वाली थी जब उन्हें पदोन्नत व्यक्ति का कार्यभार संभालना था। चूँकि उन्होंने उस पद का प्रभार नहीं संभाला था, इसलिए उन्हें कभी भी पदोन्नति के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और उनके लिए पदोन्नति का आदेश प्रभावी या सक्रिय नहीं हुआ था और इसलिए उन्हें एक लेखा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए और परिणामस्वरूप वह उस पद से जुड़े सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे।वह प्रचार पद से जुड़े लाभों का दावा नहीं कर सकता है।

(5) अब हवा सिंह देसवाल के मामले (ऊपर) में इस *अदालत के फैसले* पर आते हैं।उस मामले में, याचिकाकर्ता जो मिडिल स्कूल, गंगोली, जिला जींद में मास्टर के रूप में काम कर रहा था, को 20 जनवरी, 1994 के आदेश द्वारा हेडमास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसे जिला सोनीपत के गंगा में तैनात किया गया था।यह आदेश याचिकाकर्ता तक 31 जनवरी, 1994 तक नहीं पहुंचा था, जब वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहा था।

सुखमिंदर सिंह *बनाम* बलजीत कौर और अन्य (टी. एच. बी. चलपति, जे.)

वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।उन्होंने पदोन्नति पद के लाभों का दावा किया, जिन्हें राज्य सरकार ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था।उन्होंने एक रिट याचिका दायर की जिसे डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि उन्हें 20 जनवरी, 1994 को हेडमास्टर का दर्जा दिया गया था, जब उन्हें पदोन्नत किया गया था।यह देखा गया कि "केवल इसलिए कि आदेश को याचिकाकर्ता को समय पर सूचित नहीं किया जा सका है ताकि वह अपनी सेवानिवृत्ति से पहले

पद पर शामिल हो सके, इन परिस्थितियों में उसे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए प्रधानाध्यापक के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।उन्हें 24 जनवरी, 1994 से प्रधानाध्यापक के रूप में माना जाना है और इस तरह से सेवानिवृत्त होना है।"फैसले से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता को 20 जनवरी, 1994 को 'तत्काल प्रभाव' से पदोन्नत किया गया था या उसे पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी किया गया था या क्या उसे पदोन्नति का आदेश कब प्रभावी होना था, यह बताए बिना सरलता से पदोन्नत किया गया था।हमने हवा सिंह देसवाल द्वारा दायर 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. 15236 के मूल अभिलेख भेजे और पाया कि रिट याचिका के अनुलग्नक नष्ट कर दिए गए थे।इसलिए, यह पता नहीं लगाया जा सका कि हवा सिंह देसवाल को बढ़ावा देने के आदेश की प्रकृति क्या थी।यदि उन्हें तत्काल प्रभाव से पदोन्नत किया गया था तो खंड पीठ द्वारा लिया गया विचार सही है, लेकिन यदि पदोन्नति उनके पदोन्नति पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होनी थी, तो उसमें की गई टिप्पणियां डॉ. अमरजीत सिंह के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय *द्वारा निर्धारित कानून* के विपरीत हैं।इसलिए हमारा विचार है कि हवा सिंह देसवाल के मामले (उपरोक्त) में इस *अदालत का फैसला* हमारे सामने याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायक नहीं है।

(6) परिणाम स्वरुप इस याचिका में कोई मेरिट(गुण) नही है इसलिए इस याचिका को बिना किसी लागत के आदेश के खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा